कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानानुसार विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों/कार्मिकों/वैज्ञानिकों का परिवीक्षा अवधि में उनके मूल नियुक्ति के पद के वेतनमान के प्रारम्भिक न्यूनतम स्तर के मूल वेतन के सापेक्ष वेतन आहरित किया जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमति से ही सम्बन्धित शिक्षक/कार्मिक/वैज्ञानिक को पूर्वगामी तिथि से नियमानुसार (01 जनवरी अथवा 01 जुलाई) वह वेतनवृद्धियॉ स्वीकृत की जायेगी जो उसे साधारण रूप से अनुमन्य हो जाती यदि वह परिवीक्षाधीन न होता।

उक्त आदेश वित्त नियंत्रक महोदय की संस्तुति दिनांक.21.08.2024 के कम में मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(ए0के0 सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं परिवीक्षण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/लेखा/2024/1251 दिनांक 24-08-2024

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ विभागों/केन्द्रों पर अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. सेल।
3. अध्यक्ष, कोआर्डिनेशन सेल।
4. वित्त नियंत्रक।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष।
6. अधिशाषी अभियन्ता(सिविल), निर्माण निदेशालय।
7. प्रभारी अधिकारी, चिकित्सालय/वाहन/सम्पत्ति/सुरक्षा अनुभाग।
8. उपभण्डार कय अधिकारी, केन्द्रीय कय भण्डार।
9. विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग को इस आशय से कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करायें।
10. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

AKS

(ए0के0 सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं परिवीक्षण